उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-17/152/26-1-2014-4(1)2014

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बलदेव त्रिपाठी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ सम्प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), आजमगढ़ को उनके जनपद मऊ में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2010-11 व वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शादी/बीमारी अनुदान योजना एवं छात्रवृत्ति योजना की वापसी की रू0 2,40,68,957/- (रूपया दो करोड़ चालीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ सत्तावन मात्र) की विभिन्न चेकों का निस्तारण न कराये जाने, ग्राम पंचायत मिसरौली के ग्राम प्रधान से मिलीभगत कर कार्यालय कर्मियों के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 46,25,250/- को जनपद मऊ स्थित संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की 03 विभिन्न शाखाओं में भेजकर आहरित कर गबन करने, विभाग द्वारा अनुदानित 08 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शासनादेशों के विरूद्ध मनमाने ढंग से वेतनमान स्वीकृत कर छठें वेतनमान के एरियर मद में रूपया-45,00,000/- की धनराशि का अनियमित भुगतान करने, पेंशनरों की मूल पंजिका ओ0ए0पी0-8 में पेंशनरों का विवरण अद्यतन न कराने इत्यादि अनियमितताओं के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा श्री बलदेव त्रिपाठी को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री बलदेव त्रिपाठी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मॅहगाई भत्ता अथवा मॅहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री बलदेव त्रिपाठी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- श्री बलदेव त्रिपाठी निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-17/152(1)/26-1-2014--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री बलदेव त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), आजमगढ़ को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़/मऊ।

4- उपनिदेशक, समाज कल्याण आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ।

6- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in